

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — न्यायालय सहायक कलक्टर वीकानेर (शहर)
सिस्टेमेटिक मार्केटिंग कांसेप्ट प्रा. लि वगै. बनाम घनश्याम वगै.

जी.सी.एम.एस. पोर्टल सं.:— 2025/

किस्म मुकदमा — 212 आरटीए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिस्टेमेटिक मार्केटिंग कांसेप्ट प्रा. लि वगै. द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाड़ी द्वारा पेश किया। सरिस्ते से रिपोर्ट हुई। प्रार्थना पत्र नंबर पर दर्ज किया जावे। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादगत भूमि ग्राम हिमतासर के खसरा नंबर 685/159 तादादी 18.7838 व खसरा नंबर 676/161 तादादी 3.9375 भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य दिनांक 16.12.2024 को रजिस्टर्ड एमओयू निष्पादित किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एमओयू की शर्तों को भंग करते हुए वादगत भूमि को आगे बैय कर दिया गया है अतः श्रीमान वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। इस परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक द्वारा निम्न दृष्टांत पेश किये गए— 1. RLW 1957 P 436 2- RRD 1967 P 122, 3- RRD 1996 P 337, 4- RRD 1998 P 33।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए से संबंधित वादपत्र धारा 92 ए आरटीए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 घनश्याम के बीच विभिन्न शर्तों सहित निष्पादित हुए एमओयू के आधार पर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं चूंकि प्रस्तुत एमओयू का समूचित परीक्षण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है तथा उक्त परिप्रेक्ष्य पर न्यायालय द्वारा TRANSFER OF PROPERTY ACT 1882 SECTION 54 का अवलोकन किया जिससे यह है कि</p> <p>Contract for sale.— A contract for the sale of immoveable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. It does not, of itself, create any interest in or charge on such property.</p> <p>अतः इस प्रकरण में न्यायालय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के तहत यह समझता है कि बिक्री के लिए एक मात्र समझौता स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करता है या किरायेदारी अधिकारों में परिवर्तन नहीं करता है जब तक उचित हस्तांतरण निष्पादित नहीं किया जाता है चूंकि इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया यही है कि पक्षकारान के मध्य सशर्त एक अनुबंध हुआ था, न कि किसी प्रकार से संपत्ति का उचित हस्तांतरण हुआ था इस प्रकार प्रथम दृष्टया उक्त वादगत भूमि पर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं</p>	

होता है तथा वादपत्र में पक्षकारान को सुना जाकर ही प्रकरण में उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, वादपत्र में अप्रार्थिगण को रजिस्टर्ड सम्मन जारी हो। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ़्तर हो।



सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर